



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 338/टीएल/2024

दिनांक: 11.11.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केएपीटीएल), सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 110021 द्वारा "फेस-IV (7जीडब्ल्यू) के अधीन गुजरात का खावड़ा क्षेत्र: भाग क" (इसके बाद "पारेषण योजना/परियोजना के रूप में संदर्भित) में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण योजना" स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्र सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीडोडी
1.	765 केवी बस सेक्शनलाइजर के साथ केपीएस3 (जीआईएस) पर 765 केवी बस सेक्शन- II और बस सेक्शन- II पर 1X330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिपेक्टर का निर्माण बस सेक्शन- II का निर्माण 3X1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी के साथ 765 केवी और 400 केवी स्तर दोनों पर किया जाएगा।	
2.	आरई अंतरराज्यीय के लिए बस सेक्शन- II पर 3 नंबर 400 केवी बे और बस सेक्शन- II पर 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपेक्टर और 400 केवी बस सेक्शनलाइजर के साथ केपीएस3 (जीआईएस) पर 400 केवी बस सेक्शन- II का निर्माण	
3.	केपीएस3 (जीआईएस) - लकाडिया (एआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन	24 मास (30.08.2024)
4.	केपीएस3 (जीआईएस) - लकाडिया (एआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए केपीएस3 (जीआईएस) और लकाडिया (एआईएस) प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे का 2 नंबर	
5.	केपीएस3 400 केवी बस सेक्शन- II पर 1x125 एमवीएआर एमएससी 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ±300 एमवीएआर स्टैटकॉम	
6.	पीएस1 (जीआईएस) - भुज पीएस 765 केवी द्वितीय डी/सी लाइन	
7.	केपीएस1 (जीआईएस) - भुज पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के लिए केपीएस1 (जीआईएस) और भुज पीएस प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे का 2 नंबर	
8.	केपीएस3 (जीआईएस) - लकाडिया 765 केवी डी/सी लाइन (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के केपीएस3 छोर पर 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपेक्टर	

नोट:

- वन-एड-हाफ योजना में डायमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए आवश्यक बे(बेज) भी टीएसपी द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- केपीएस3 के टीएसपी क्रम सं. 1, 2, 4 और 8 पर संकल्पित कार्य के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- वर्तमान योजना का टीएसपी केपीएस3 पर क्र.सं.5 पर यथा विनिर्दिष्ट स्टैटकॉम (एमएससी/एमएसआर के साथ) के संस्थापन के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करेगा और केपीएस3 का टीएसपी स्टैटकॉम की समाप्ति के लिए 1 नंबर 400 केवी बे के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 13.9.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव करता है।
- खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस एतद द्वारा, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया जाता है कि आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पते पर दिनांक 26.11.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव